

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक:-

29.10.2021

—:आदेश:—

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु सं. 7 में उल्लेखित प्रावधान राजस्थान आवासन मण्डल में भी अभियान अवधि में लागू रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव—प्रथम